

मुकदमा नम्बर 94/2010

निर्णय दिनांक 9.12.2019

तहसीलदार (राजस्व) लेण्ड होल्डर तहसील श्री डूंगरगढ जिला बीकानेर

-----वादी

वनाम

1 मालाराम पुत्र शोभाचन्द जाति रेगर निवासी श्री डूंगरगढ जिला बीकानेर 2  
आण्जनेय और्गेनिक हर्बल फार्मस प्राइवेट लिमिटेड, सी-133 रणजीत नगर, भरतपुर

उपस्थिति-

-----प्रतिवादीगण

1. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।
2. श्री नरसाराज जाखड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 की तरफ से ।
3. प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही ।

वाद अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काष्ठाकारी अधिनियम

यह वाद स्टेट ने जरिये पैरोकार राज के माध्यम से पेप कर निवेदन किया कि प्रार्थी राजस्थान सरकार के तहसीलदार (राजस्व) श्री डूंगरगढ के पद पर कार्यरत है तथा प्रार्थी कृषि भूमि के संबंध में लेण्ड होल्डर है । तहसील श्री डूंगरगढ स्थित गांव जेतासर की रोही में एक खेत खसरा नम्बर 839/651 तादादी 44 बीघा 10 विस्वा का स्थित है । यह खेत अप्रार्थी संख्या 1 के नाम रेवेन्यु रिकार्ड में दर्ज है । इस खेत के वर्तमान में खसरा नम्बर 965 तादादी 11.26 हैक्टर है । अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान काष्ठाकारी अधिनियम की धारा 42 बी का उल्लंघन करते हुए अपने 1/2 हिस्से की खातेदारी भूमि का विक्रय अनुसूचित जाति के व्यक्ति को न करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 7.10.2005 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय की है । जो कि धारा 42 राजस्थान काष्ठाकारी अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है । विक्रय पत्र शून्य है । अप्रार्थी संख्या 1 रेगर जाति के व्यक्ति है । रेगर जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है । जबकि अप्रार्थी संख्या 2 अनुसूचित की श्रेणी में शामिल नहीं है । इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ने उपरोक्त खेत में स्थित अपने 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि का जो विक्रय पत्र दिनांक 26.9.2005 को संपादित किया है वो धारा 42 आरटी एक्ट का स्पष्ट उल्लंघन है तथा विक्रय पत्र गैर कानूनी अवैध व शुरु से ही शून्य है । विक्रय पत्र दिनांक 7.10.2005 निष्पादित होने से अप्रार्थी संख्या 2 को खातेदारी के रूप में कोई अधिकार हासिल नहीं हो सकते है । अप्रार्थीगण द्वारा गैर कानूनी हस्तान्तरण खातेदारी भूमि के संबंध में किए जाने से प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरुद्ध वेदखली का अधिकार प्राप्त हो चुका है । विक्रय पत्र दिनांक 7.10.2005 का है । इसलिए यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काष्ठाकारी अधिनियम की तृतीय सूची के भाग 2 के अन्तर्गत हर प्रकार से अन्दर मियाद पेश है । वादगत खेत गांव जेतासर तहसील श्री डूंगरगढ की रोही में स्थित होने से यह प्रार्थना पत्र आपके न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है । धारा 175 आर टी एक्ट सपटित धारा 63 आरटी एक्ट के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र प्रथम बार प्रस्तुत किया जा रहा है । अप्रार्थी संख्या 1 जो कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति है के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (जो कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं है) के पक्ष में किए गए विक्रय पत्रसे प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरुद्ध धारा 175 आरटीएक्ट के अन्तर्गत उक्त खेत की 15.625 बीघा जमीन को सिवाय चक रेसेन्यु रिकार्ड में दर्ज करने का वाद हेतु प्राप्त हो चुका है । प्रार्थी लेण्ड होल्डर है और



2  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
श्री डूंगरगढ (बीकानेर)

राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि है । इसलिए प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार है । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि खेत खसरा नम्बर 839/651 तादादी 11.26 हैक्टयर नये खसरा नम्बर 965 तादादी 11.26 हैक्टयर रोही जेतासर तहसील श्री डूंगरगढ में स्थित अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से की कुल 1/2 हिस्सा भूमि से अप्रार्थीगण को वेदखल किए जाने का आदेश प्रदान करने व उक्त 1/2 हिस्सा रकबा को अराजीराज यानि शिवाय चक के रूप में रेवेन्यु रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश प्रदान करें ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 के अनुपरिथत रहने के कारण इनके विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रतिवादी संख्या 2 की तरफ से जबाब पेश हुआ कि अप्रार्थी संख्या 2 (प्रार्थी) द्वारा उपरोक्त रकबा कानामान्तरण दर्ज करवाने हेतु कई प्रार्थना पत्र तहसीलदार, श्री डूंगरगढ को दिये परन्तु तहसीलदार ने मौखिक रूप से यह कह कर कि उपरोक्त रकबा अनुसूचित जाति के व्यक्ति की होने के कारण उक्त रकबा का नामान्तरण अप्रार्थी संख्या 2 (प्रार्थी) के नाम से दर्ज नहीं किया जा सकता है, तो अप्रार्थी संख्या 2 कम्पनी (प्रार्थी) द्वारा इस विषय की सिविल रिट संख्या 169/06 माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत की गई । माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 4.4.07 में निर्णय दिया कि डीबी सिविल स्पेशल अपील 878/2002 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम इण्डियन ऑयल कारपोरेशन में पारित निर्णय दिनांक 9.1.2003 के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे । इस याचिका में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि क्रेय की गई थी तथा इण्डियन ऑयल कारपोरेशन को विधिक व्यक्ति की परिभाषा में लेते हुए उसकी कोई जाति नहीं होने का उल्लेख माननीय उच्च न्यायालय ने किया है । माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 4.4.2007 के विरुद्ध स्टेट के द्वारा डी वी सिविल स्पेशल अपील सं. 1177/2008 दायर की गई । जो माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.9.2008 के द्वारा खारिज फरमा दी गई । इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 9.1.2010 फाईनल निर्णय हो गया, जिसकी पालना प्रार्थी (तहसीलदार श्री डूंगरगढ) को करनी चाहिये थी । उसके बजाय श्रीमान के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो कतई गलत, गैर कानूनी एवं क्षेत्राधिकार विहित होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा साथ ही तहसीलदार श्री डूंगरगढ को निर्देश दिया जावे कि माननीय उच्च न्यायालय की पालना में अप्रार्थी संख्या 6 के नाम से नामान्तरण दर्ज किया जावे । अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा कई बार उपरोक्त रकबा नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए साथ में दस्तावेज (फोटो प्रति विक्रय पत्र माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय की प्रतियां) प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि माननीय न्यायालय के आदर्ष दिनांक 9.1.2010 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से नामान्तरण दर्ज किया जावे, परन्तु तहसीलदार, श्री डूंगरगढ के द्वारा ना तो नामान्तरण दर्ज किया गया तथा ना ही कोई न्याय संगत जवाब ही दिया, उक्त कृत्य भी माननीय न्यायालय की अवमानना की तारीख में आता है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र गैर कानूनी उप क्षेत्राधिकार विहित होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे । साथ ही प्रार्थी (तहसीलदार श्री डूंगरगढ) को निर्देशित किया जावे कि माननीय उच्च न्यायालय की पालना में कार्यवाही करें । अप्रार्थी संख्या 2 एक विधिक व्यक्ति है । जिसकी कोई जाति नहीं होती है, यह तथ्य निर्विवाद रूप से माननीय उच्च न्यायालय ने माना है । इसलिए अप्रार्थी संख्या 6 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी का किसी प्रकार से उलंघन नहीं किया है । इसलिए प्रार्थी को इस रकबा पर धारा 175 आर टी ए सपठित धारा 63 आर टी ए के तहत कार्यवाही



तहसीलदार  
डूंगरगढ (सिक्का)

करवाने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्णतया असांवेधानिक होने के कारण खारिज योग्य है । जिसे खारिज फरमाया जावे साथ ही प्रार्थी (तहसीलदार, श्री डूंगरगढ) को निर्देशित किया जावे कि माननीय उच्च न्यायालय की पालना में कार्यवाही करें । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कतई गलत गैर कानूनी एवं क्षेत्राधिकार विहिन होने के कारण मय खर्चा खारिज किया जावे साथ ही प्रार्थी (तहसीलदार, श्री डूंगरगढ) को निर्देशित किया जावे कि माननीय उच्च न्यायालय की पालना में कार्यवाही कर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से राजस्व रेकार्ड में नामान्तरण दर्ज किया जावें ।


प्रतिवादी अधिवक्ता लम्बे समय से अनुपरिथत है उनके द्वारा प्रकरण की पैरवी नहीं की जा रही है । इस प्रकरण की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो चुकी है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे दायर सिविल अपील 6741-6742/2012 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम आण्जनेय और्गेनिक हर्बल फार्मस प्राइवेट लिमिटेड का निर्णय दिनांक 20.9.2012 को हो चुका है । जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों को निरस्त किया आ चुका है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति की भूमि किरसी भी स्थिति में अन्य को हस्तान्तरित नहीं हो सकती । विक्रय पत्र दिनांक 7.10.2005 प्रारम्भ से ही शून्य है । उप पंजीयक, श्री डूंगरगढ ने विक्रय पत्र में धारा 39 का नोट लगाया हुआ है जिसके कारण उक्त भूमि का आज तक नामान्तरणकरण दर्ज नहीं हो सका । चूंकि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ चुका है । अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

#### निर्णय

खेत खसरा नम्बर 839/651 तादादी 11.26 हैक्टर नये खसरा नम्बर 965 तादादी 11.26 हैक्टर रोही जेतासर तहसील श्री डूंगरगढ में स्थित अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से की कुल 1/2 हिस्सा भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल किए जाने के आदेश दिये जाते है तथा उनके द्वारा विक्रय किया गया 1/2 हिस्सा रकबा को अराजीराज यानि सिवाय चक के रूप में रेवेन्यु रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है । डिक्री जारी हों ।

निर्णय आज दिनांक 9.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय सुनाया गया ।

  
(राकेश कुमार न्योल)  
उपस्थान्त अधिकारी,  
श्री डूंगरगढ

